

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-35/2019 (2019/00263)

दर्ज दिनांक 22.10.2019

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतबन्ना सोहन लाल (सेन)

-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापूर ,जिला-भीलवाडा।

-विपक्षी

वकिल प्रार्थी:-श्री एम0एस0चुण्डावत

विपक्षी:- पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य स्वामित्व की कृषि भूमि वाके ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 395 पर आराजित 494 रकबा 0.4100 हे0, 498 रकबा 0.7300 हे0, 499 रकबा 0.0400 हे0, 500 रकबा 0.3600 हे0, 501 रकबा 0.2500 हे0, 502 रकबा 0.1900 हे0 कुल कित्ता 06 रकबा 0.9800 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल पिता मांगीलाल , भेरूलाल पिता सोहन लाल के नाम पर अंकित है जबकि भेरूलाल एक ही व्यक्ति है।

इसी प्रकार ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 315 पर आराजित 482 रकबा 0.0800 हे0, 483 रकबा 0.0700 हे0 कुल कित्ता 02 रकबा 0.1500 हे0 भूमि स्थित है। व आराजी नं0 489 रकबा 0.1000 हे0 पर कुआ बना हुआ है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल पिता मांगीलाल , भेरूलाल पिता सोहन लाल के नाम पर अंकित है जबकि भेरूलाल एक ही व्यक्ति है।

सहायक जिला अधिकारी
(विकास पंचोली)
गंगापूर जिला भीलवाडा (राज.)




1.

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आराजियात में प्रार्थी का नाम भेरूलाल पिता मांगीलाल व भेरूलाल पिता सोहन लाल वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है जबकि भेरूलाल नाम का व्यक्ति एक ही है इसलिए राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतवन्ना सोहनलाल अंकित होना चाहिए क्योंकि प्रार्थी के मूल पिता का नाम मांगीलाल थ व गोद पिता सोहन लाल थे मांगीलाल व सोहन लाल दोनों आपस में सगे भाई थे सोहन लाल के कोई पुत्र पुत्री कुल भी संतान नहीं थी अर्थात् लाओलाद फौत हुए थे जिनका सामाजिक क्रियाक्रम भी प्रार्थी ने ही किया था व पगड़ी भी प्रार्थी के ही बंधाई गई उनकी भूमि का जो इन्तकाल खोला गया वह भी भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतवन्ना सोहनलाल के नाम से खोला गया किन्तु राजस्व रेकार्ड की रोटेशन की जमाबंदी में भेरूलाल पिता मांगीलाल व भेरूलाल पिता सोहन लाल अलग-अलग नाम अंकित कर दिये जबकि रोटेशन की जमाबंदी में त्रुटि हुई है इसलिए दुरुस्ती की जाने हेतु आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात की खाता संख्या 395 में अंकित कुल कित्ता 6 कुल रकवा 1.9800 हे0 , खाता संख्या 315 कुल कित्ता 2 कुल रकवा 0.1500 व कुआ आराजी नं0 489 रकवा 0.1000 हे0 में दर्ज राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल पिता मांगीलाल , भेरूलाल पिता सोहन लाल के बजाय भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतवन्ना सोहनलाल अंकित करा राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती फरमायी जावे।

प्रकरण दिनांक 22.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी राजकीय पेशेकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि— प्रार्थना पत्र की पेशा संख्या 1 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है, पेशा सं0 2 आंशिक स्वीकार है, पेशा संख्या 3 से 8 न्यायिक है। पेशा संख्या 9 संलग्न नामान्तरण संख्या 175 में सोहनलाल की विरासत भेरूलाल मुत0 सोहनलाल दर्ज की गयी जो अस्वीकार है जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के खाता संख्या 172 में विरासत का अंकन सोहन फौत के बजाए भेरूलाल पिता व मु0 सोहनलाल अंकन किया गया जो स्वीकार है। जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के बाद का रेकार्ड जमाबंदी पत्रावली में संलग्न नहीं होने से यह जाहिर नहीं होता कि भेरूलाल पिता सोहनलाल किस जमाबंदी रोटेशन में हुआ है।

उक्त प्रार्थना पर पर तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :-


महापौर जिला गोलवाड़ा (राज.)

- ग्राम मेहन्द्रगढ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 395 पर आराजात 494 रकबा 0.4100 हे0, 498 रकबा 0.7300 हे0, 499 रकबा 0.0400 हे0, 500 रकबा 0.3600 हे0, 501 रकबा 0.2500 हे0, 502 रकबा 0.1900 हे0 कुल किता 06 रकबा 0.9800 हे0 में भेरूलाल पि0 मांगीलाल 1/2 भेरूलाल पि0 सोहनलाल 1/2 जाति नाई तथा आराजी नं0 482 रकबा 0.08 हे0, 483 रकबा 0.10 हे0 में भेरूलाल पि0 मांगीलाल 1/4 व भेरूलाल पि0 सोहनलाल 1/4 नाई तथा 489 रकबा 0.10 हे0 में भेरूलाल पि0 मांगीलाल 1/12 भेरूलाल पि0 सोहनलाल 1/12 दर्ज रेकार्ड है।

-संलग्न नामान्तरण संख्या 175 में सोहनलाल की विरासत भेरूलाल मुत0 सोहनलाल के नाम से दर्ज होकर नामान्तरण निर्णित हुआ जिसका अंकन जमाबंदी 2014 से 2017 के खाता संख्या 172 में भेरूलाल पि0 0 मु0 सोहनलाल अंकन किया गया।

-संलग्न जमाबंदी सवत् 2018 से 2021 खाता संख्या 187/1, 187/2 संलग्न है जिसमें खाता संख्या 187/2 में भेरूलाल पि0 सोहनलाल नाई दर्ज हुआ है।

- ग्रामवासियान से जानकारी करने पर जाहिर आया कि मांगीलाल व सोहनलाल दोनों सगे भाई थे जिसमें से सोहनलाल के कोई औलाद (पुत्र-पुत्री) नहीं होने से सोहनलाल की भूमियां भी भेरूलाल के नाम दर्ज हुई है तथा जाहिर किया कि भेरूलाल पिता सोहनलाल भेरूलाल पिता मांगीलाल एक ही व्यक्ति है अतः भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतबन्ना सोहनलाल एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं परोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही परोकार सरकार का जवाब एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे भेरूलाल पिता मांगीलाल, भेरूलाल पिता सोहनलाल के बजाय भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतबन्ना सोहनलाल अंकित कर राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है अतएवं:-

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का नाम ग्राम मेहन्द्रगढ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा राजस्व खाता संख्या 395 में अंकित कुल किता 6 कुल रकबा 1.9800 हे0, खाता संख्या 315 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1500 व कुआ आराजी नं0 489 रकबा 0.1000 हे0 में भेरूलाल पिता मांगीलाल, भेरूलाल पिता सोहनलाल के बजाय भेरूलाल पिता मांगीलाल मुतबन्ना सोहनलाल अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विकारण संहोली) कलेक्टर
उपखण्डाधिकारी गंगापुर 3.
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)